

बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

ज्ञापांक-1/योजना छात्रवृत्ति-08/2009- 48

पटना, दिनांक- 11/09/17

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचंद पटेल पथ, पटना।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य योजना बजट प्रावधान के अंतर्गत बिहार राज्य के 38 जिलों के अन्य पिछड़े वर्गों के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति मद में आकस्मिक व्यय हेतु रू0 38.00 लाख (रूपये अड़तीस लाख) मात्र व्यय करने की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य योजना बजट प्रावधान अंतर्गत बिहार राज्य के 38 जिलों के अन्य पिछड़े वर्गों के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति मद में आकस्मिक व्यय हेतु रू0 38.00 लाख (रूपये अड़तीस लाख) मात्र व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- उक्त संपूर्ण राशि का व्यय भार वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य योजना के मांग संख्या-11- के मुख्य शीर्ष "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-उपमुख्य शीर्ष-03-पिछड़े वर्गों का कल्याण-लघु शीर्ष-277-शिक्षा-उपशीर्ष-0101-शिक्षा-विषय शीर्ष-13-कार्यालयी व्यय-0101.13.01-कार्यालय व्यय" विपत्र कोड-11-2225032770101 के अधीन विकलनीय होगा।

3- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे, जो पूर्व से इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित हैं। वे राशि को नियमानुसार निकासी एवं व्यय के पश्चात उपयोगिता प्रमाण-पत्र विभाग को शीघ्र उपलब्ध करायेंगे। संबंधित उप विकास आयुक्त इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

4- राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या-2561 दिनांक-17.04.1998, संकल्प ज्ञापांक-3808 दिनांक-02.06.2017 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में करेंगे।

5- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत राशि के समुचित एवं नियमानुसार उपयोग हेतु पूर्ण उत्तरदायी होंगे। अनावश्यक रूप से राशि कोषागार से निकासी के बाद अव्यवहृत नहीं रखा जाय। राशि की निकासी उतनी ही की जाय जिसका वास्तविक उपयोग दिनांक 31.03.2018 तक हो सके एवं इस तिथि के बाद कोई राशि बैंक ड्राफ्ट/बैंक खाता/नगद के रूप में नहीं रखा जाय। वे संबंधित व्यय विवरणी तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र विभाग को भेजेंगे।

6-प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-1/योजना-छात्रवृत्ति-08/2009 के टिप्पणी पृष्ठ-201/टि० पर प्राप्त है।

7-प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

8- सभी संबंधित पदाधिकारियों को इस राशि की स्वीकृति की सूचना दी जा रही है।

9- कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(प्रेम सिंह मीणा),

सरकार के सचिव।

(PTO)


ज्ञापांक-1/योजना छात्रवृत्ति-08/2009- 48

पटना, दिनांक- 11/09/17

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(3) सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/उप सचिव/अवर सचिव (बजट)/बजट सहायक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना/आईटीमैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को विभागीय वेबसाइट (<https://bcebcwelfare.bih.nic.in>) पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सरकार के सचिव।

ज्ञापांक सं०-1/योजना-छात्रवृत्ति-08/2009- 48

पटना, दिनांक- 11/09/17


प्रतिलिपि:- सचिव के आप्त सचिव/विशेष सचिव कोषांग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव।

ज्ञापांक सं०-1/योजना-छात्रवृत्ति-08/2009- 48

पटना, दिनांक- 11/09/17

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के आप्त सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव।

विवरणी


वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य योजना अंतर्गत अन्य पिछड़े वर्गों के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु आकस्मिक व्यय के लिए कार्यालय व्यय में स्वीकृत/आवंटित राशि की विवरणी :-

(राशि लाख में)		
क्रम सं०	जिला का नाम	कार्यालय व्यय हेतु स्वीकृत/आवंटित राशि
1	2	3
1	पटना	1.00
2	नालंदा	1.00
3	रोहतास	1.00
4	भभुआ	1.00
5	भोजपुर	1.00
6	बक्सर	1.00
7	गया	1.00
8	जहानाबाद	1.00
9	अरवल	1.00
10	नवादा	1.00
11	औरंगाबाद	1.00
12	सारण	1.00
13	सिवान	1.00
14	गोपालगंज	1.00
15	मुजफ्फरपुर	1.00
16	सीतामढ़ी	1.00
17	शिवहर	1.00
18	प० चम्पारण	1.00
19	पू० चम्पारण	1.00
20	वैशाली	1.00
21	दरभंगा	1.00
22	मधुबनी	1.00
23	समस्तीपुर	1.00
24	सहरसा	1.00
25	सुपौल	1.00
26	मधेपुरा	1.00
27	पूर्णियाँ	1.00
28	अररिया	1.00
29	किशनगंज	1.00
30	कटिहार	1.00
31	भागलपुर	1.00
32	बाँका	1.00
33	मुँगेर	1.00
34	लखीसराय	1.00
35	शेखपुरा	1.00
36	जमुई	1.00
37	खगड़िया	1.00
38	बेगुसराय	1.00
	कुल योग	38.00

पत्रांक- 48

दिनांक- 11/09/17

(रूपये अड़तीस लाख) मात्र का अनुलग्नक



(प्रेम सिंह मीणा),

सरकार के सचिव।